वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप-संरक्षक
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग, मोटी दमण.

सं.वन उप-संरक्षक/दमण/51/2015-16/143 दिनांक :- 13 / 05 / 2016.

विषय :- वृक्ष काटने हेतु अनुमति.

वृक्ष काटने हेतु Shri Allen Orlando Rodario, H.No. 7/40 Behind PHC, Moti Daman निवासी के वृक्ष काटने संबनधी आवेदनपत्र दिनांक : **23/03/2016** के संदभ में निम्नलिखित शतों एवं निबन्धनों के पालक करने के साथ सर्वे सं 7/40, **Moti Daman)** की जमीन पर निचे वर्णित विवरण के अनुसार वृक्ष कतरन की अनुमति के बारे में सूचित किया जाता है ।

वृक्ष / वृक्षों का विवरण :

क्रम सं	प्रकार / नाम	कुल वृक्ष सं
1	Bhindi Trees	06
	Total	**06 Nos.**

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप - संरक्षक
दमण ।

सेवा में,
The Chief Officer,
Daman Municipal Council,
Daman.

नियम एवं शर्तें

1. श्रेत्रीय वन अधिकारी द्रारा वृक्ष को चिहनत करेंगें ।
2. आवेदक अपनी जिम्मेदारी में एवं वन विभाग के पर्यवेक्षण में वृक्ष कतरायेंगे । संबन्धित भूमि पर अथवा व्यक्तियों के दावे संबनधी मामले के बिना यह अनुमति दी जाति है।
3. यह आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वृक्ष कतराने ने का कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।
4. कतरन गये वृक्ष से प्राप्त उपादान श्रेत्रीय वन अधिकारी से ट्राजिट पास लेकर स्थल सें हटाना होगा ।
5. तटीय क्षेत्र विनियम का उललंधन करते हुए पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करेंगे, इस शर्त पर अनुमति दी जाती है।

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दमण - दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनार्थ ।
2. वन संरक्षक, दमण -दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनार्थ ।
3. श्रेत्रिय वन अधिकारी, दमण ।
4. सबधिंत बिट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड / सिपाई ।